संख्या–1668 / 63–व0उ0–2016–56(एच) / 2016

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

आशुलिपिक निदेशक (ह०क०)
डायरी न० 803
दिनांक 26/12/16

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांकः 23 दिसम्बर, 2016

विषय :– धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1022 / ह0क0 / 2015–16 दिनांक 09.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी योजना की गाइडलाइन्स एतद्द्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :–

1.1 योजना का उद्देश्य :– परम्परागत रूप से धुनकर व्यवसाय मानव श्रम द्वारा चालित अथवा मोटर चालित कार्डिंग मशीन पर कपास को रूई में बदलने की प्रकिया को कहते हैं। जनपद–अमरोहा में कार्डिंग मशीन का प्रयोग काटन / पोलिएस्टर / ऊनी एवं सूती कपड़े के वेस्ट / कतरन से रूई बनाने का कार्य किया जा रहा है और कार्डिंग मशीन पर इस कार्य को व्यवसाय के रूप में करने वालों को धुनकर की श्रेणी में रखा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे धुनकरों के कार्य को प्रोत्साहित करने / उत्पाद की लागत कम करने हेतु इनको विद्युत बिलों में पावरलूम बुनकरों की भांति छूट दिये जाने हेतु इस योजना का कियान्वयन किया जाना है।

1.2 योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी की पत्रता :– लाभार्थी धुनकर की आयु 18 वर्ष से कम न हो और धुनकर के व्यवसाय में लगा हो। धुनकर के पास सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र हो। धुनकर के नाम से सम्बन्धित क्षेत्र जहॉ वह पंजीकृत हो विद्युत विभाग में स्वयं के नाम का विद्युत कनेक्शन होना चाहिये। धुनकर उपभोक्ता पर शानादेश संख्या–1969 / 24–पी–3– 2006 दिनांक 14.06.2006 संशोधित शासनादेश यदि कोई जारी किया जाए, में दिये गये निर्देश भी लागू होंगे।

1.3 जिलावार / परिक्षेत्रवार धुनकरों के चयन की प्रकिया :– जिस परिक्षेत्र / जिले में धुनकर व्यवसाय चल रहा हो वहॉ धुनकर व्यवसाय में लगे धुनकरों, जो धुनकर होने की निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हो, को उक्त योजना का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित जिले / परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होगा। (घोषणा पत्र शानादेश संख्या–1969 / 24–पी–3– 2006 दिनांक 14.06.2006 के संलग्नक के अनुसार होना चाहिये) सम्बन्धित सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं उस परिक्षेत्र / जिले से सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित संयुक्त टीम से सत्यापन कर ऐसे सभी धुनकरों का निर्धारित अर्हता क्रे आधार पर चयन करेंगे। ऐसी धुनकर उपभोक्ताओं की जनपदवार / ब्लाकवार / गॉववार / मोहल्लावार सत्यापित सूची जिसमें धुनकरों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे लूम / संयंत्र / मशीन की संख्या व विद्युत भार (किलोवाट / अश्वशक्ति में) स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। इस प्रकार चयनित धुनकरों को शासनादेश संख्या–1969 / 24–पी–3– 2006 दिनांक 14.06.2006 के अनुसार रू 130 / –अश्व शक्ति

उप आयुक्त (ह०)
आयुक्त एवं निदेशक
27/12

(हार्सपावर)/माह की दर से विद्युत बिल धुनकर द्वारा स्वयं देय होगा। धुनकर उपभोक्ता की मीटर रीडिंग के अनुसार जो बिल बनेगा उसमें से उपभोक्ता द्वारा रू 130/–अश्व शक्ति (हार्सपावर) /माह की दर से देय धनराशि घटाकर शेष धनराशि की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जायेगी। बजट व्यवस्था में उपलब्ध कुल धनराशि से लाभार्थियों की प्रस्तावित धनराशि अधिक होने की स्थिति में सूची में उपलब्ध धुनकरों का चयन पूर्ण वर्ष में प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि के आरोही क्रम में किया जायेगा।

1.4 योजना हेतु बजट/धनराशि की मॉग :– परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा के प्रस्ताव को संकलित कर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में धुनकरों को विद्युत दर में छूट दिये जाने के लिये शासन से आवश्यकतानुसार बजट का प्राविधान कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक की देयता उस वर्ष में सृजित नहीं करेंगे और न ही उन्हें आगामी वर्षो में अग्रणीत किया जायेगा।

1.5 व्यय की प्रकिया :– बजट प्राविधानो के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त चयनित धुनकरों के विद्युत प्रतिपूर्ति की धनराशि व्यय हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि लाभार्थी धुनकरों को विद्युत कनेक्शन की संख्या के सापेक्ष समायोजित करने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

1.6 सदुपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण :– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर से प्राप्त धनराशि के अनुसार धुनकरों के विद्युत बिलों पर छूट प्रदान कर सूची, सदुपयोगिता प्रमाण पत्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर को उपलब्ध करायेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,उ0प्र0 कानपुर द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से उक्त सदुपयोगिता प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त सदुपयोगिता प्रमाण पत्रों को संकलित कर उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(हरिशंकर भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1668(1)/63–व0उ0–2016, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या–4/2/19/2016–सी0एक्स0(1) दिनांक **22** दिसम्बर 2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
5– निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
7– मुख्य अभियन्ता, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वित्तीय) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8– विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
9– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1668(2)/63–व0उ0–2016–तद्दिनांक

प्रतिलिपि इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना व्यापक प्रचार–प्रसार समस्त समाचार पत्रों में एवं अन्य प्रचार माध्यमों से करवाने का कष्ट करे :–

1– जिलाधिकारी, अमरोहा।
2– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
संयुक्त सचिव।